न्यायालय सविल जज,जू0डि0छाता मथुरा।
वाद संख्या 56/2009
रमेश चंद बनाम जिला पंचायत मथुरा आदि
दिनांक 19.9.2018

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई । उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र 30ग पर सुना जा चुका है।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र 30ग इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में दिनांक 26.2.2015 नियत थी । उक्त वाद में अब्दुल सईद अंसारी पैरोकारी करते थे किन्तु नियत दिनांक पर उक्त पैरोकार के मथुरा न्यायालय में विचाराधीन वादों व कार्यालय के कार्यों में व्यस्त होने के कारण छाता नही आ सके और न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर सके जिस कारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय सुनवाई के आदेश पारित कर दिये तथा एक पक्षीय साक्ष्य में पत्रावली नियत की गयी । पैरोकार के भयंकर बीमार होने के कारण एवं उपचार कराने में व्यस्त रहने के कारण वह न्यायालय नही आ सके । श्री माधव चंद वरिष्ठ लिपिक जिला पंचायत मथुरा द्वारा न्यायालय में पत्रावली का मुआयना करने पर एक पक्षीय आदेश के बाबत जानकारी हुई । प्रतिवादी उक्त मुकदमे को लड़ना चाहता है अतः निवेदन है कि आदेश दिनांक 26.2.2015 को अपास्त कर वाद की सुनवाई गुणदोष के आधार पर की जावे।

समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है ।

प्रतिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्व वादीगण की ओर से 32ग आपत्ति दाखिल करते हुए कथन किया है कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया है । लीगली मेन्टेनेबिल नहीं है अतः निरस्त किया जावे ।

प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से एक पक्षीय आदेश दिनांक 26.2.2015 को निरस्त कराने की याचना पैरोकार अब्दुल सईद अंसारी के मथुरा न्यायालय में विचाराधीन वादों व कार्यालय के कार्यों में व्यस्त होने एवं बाद में भयंकर बीमार होने के आधार पर की है तथा समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जबकि वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र को गलत तथ्यों के आधार पर दिये जाने व लीगली मेन्टेनेबिल न होने के कारण निरस्त करने की याचना की है ।

पत्रावली परिशीलन से विदित होता है कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 26.2.2015 को वाद कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसारित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं तथा वर्तमान में पत्रावली एक पक्षीय साक्ष्य हेतु नियत है। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि किसी भी मुकदमे का निस्तारण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए । जहां तक प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, इसकी पूर्ति हर्जे के माध्यम से की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र 30ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 30क मु0 एक हजार रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। बाद हर्जा अदायगी आदेश दिनांक 26.2.2015 रिकाल किया जावे। वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 24.10.2018 को पेश हो।

सिविल जज,जू0डि0,
छाता, मथुरा।